मध्य प्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 10 मार्च, 2014

क्रमांकः एफ 2-1/2014/नियम/चार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश फायनेंशियल कोड वाल्यूम-एक में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

(1) नियम 2 में, -

(क) खण्ड (10-क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :-

"(10-क) 'वित्त सलाहकार' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश वित्त सेवा का कोई राजपत्रित अधिकारी अथवा अखिल भारतीय सेवा का कोई अधिकारी जिसे वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग के वित्त सलाहकार के रूप में घोषित किया है ।"

(ख) खण्ड (10-क) के पश्चात्, निम्न लिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(10-ख) 'सहायक वित्त सलाहकार' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश वित्त सेवा का कोई राजपत्रित अधिकारी, जिसे वित्त विभाग द्वारा विभागाध्यक्ष के सहायक वित्त सलाहकार के रूप में घोषित किया है ।" ।

(2) नियम 52-क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"52-क. किसी प्राधिकारी द्वारा प्रशासकीय विभाग होने के फलस्वरूप प्रयोक्तव्य वित्तीय शक्तियों का प्रयोग, उसके द्वारा वित्त सलाहकार से परामर्श करने के पश्चात् किया जाएगा।"

(3) नियम 52-क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"52-ख. किसी प्राधिकारी द्वारा विभागाध्यक्ष होने के फलस्वरूप प्रयोक्तव्य वित्तीय शक्तियों का प्रयोग, उसके द्वारा सहायक वित्त सलाहकार से परामर्श करने के पश्चात् किया जाएगा।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

Sunita/Amend 2013
3/4/2014

FINANCE DEPARTMENT
VALLABH BHAWAN

NOTIFICATION

Bhopal, dated 10 March, 2014

No. F-2-1/Rule/IV, In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 283 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Financial Code, Volume-I, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules, -

(1) In rule 2, -

(a) for clause (10-a), the following clause shall be substituted, namely :-

"(10-a) 'Financial Advisor' means a Gazetted officer of the Madhya Pradesh Finance Service, or an Officer of All India Services, who has been declared by the Finance Department as Financial Advisor to the Administrative Department." ;

(b) after clause (10-a), the following clause shall be inserted, namely:-

"(10-b) 'Assistant Financial Advisor' means a Gazetted Officer of the Madhya Pradesh Finance Service, who has been declared by the Finance Department as Assistant Financial Advisor, to the Head of the Department.".

(2) For rule 52-A, the following rule shall be substituted, namely :-

"52-A. Financial powers exercisable by any authority by virtue of being the Administrative Department shall be exercised by him after consultation with the Financial Advisor.";

(3) after Rule 52-A, the following rule shall be inserted, namely:-

"52-B. Financial powers exercisable by any authority by virtue of being the Head of the Department shall be exercised by him after consultation with the Assistant Financial Advisor.".

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,

(Manish Rastogi)
Secretary
Government of Madhya Pradesh
Finance Department.

Sunita/Amend 2014

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 2-1/2014/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 10 मार्च, 2014

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

Sunita/2014
http://www. Finance.mp.gov.in